

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् खाता विभाजन

डिक्री


दिनांक :- 07/01/2026

वादीगण की ओर से श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 1 ता 7 की ओर से श्री बलवीर मोयल अधिवक्ता, राज पैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल <sup>आर.ए.एस.</sup> उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित कृषि भूमि का वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 7 को खातेदार घोषित किया जाकर निम्नानुसार विभाजन किया

जाता है:-

सहायक कलक्टर एव  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा





क.	वादी सं. 1 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 का 1/3 हिस्सा ब.हि.ब.	प.नं.	किला	तादादी
	चक		1 ता 7, 8/1, 8/2, 9/1	
	29 जेआरके	3/241	9/2, 10 ता 14, 15/1, 15/2,	
			16 ता 25	5.641 हैक्.
		3/242	1 ता 25	6.325 हैक्.
			कुल तादादी	11.966 हैक्.
ख	वादी सं. 2, प्रतिवादी सं. 5-6 की ब.हि.ब.	प.नं.	किला	तादादी
	चक		1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1	
	29 जेआरके	3/243	3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2	
			6 ता 10, 11/1, 12 ता 19	
			22 ता 25	5.693 हैक्.
ग.	प्रतिवादी सं. 7	प.नं.	किला	तादादी
	चक			
	29 जेआरके	2/242	1/1, 1/2, 2, 9, 10/1, 10/2	
			11/1, 11/2, 12, 13, 18	
			19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2	
			22, 23	3.289 हैक्.

हनुमान पुत्र धर्मा, हीरा पुत्र सुगना का नाम हक व हिस्सा कलमजन किया जाता है। तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की दशा में स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा। रहन यथावत रखा जाता है।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 07/01/2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(3)  
(उमा मित्तल)  
सहायक कलक्टर (अ.र.एस.)  
पदेन सहायक कलक्टर  
पीलीबंगा